न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 50/2017/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. मूलचन्द पुत्र श्री भूराराम उम्र 67 वर्ष जाति जॉगिड ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 21 हरिपुरा नगरपालिका लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. बनवारी दत्तक पुत्र चुना जाति जॉगिड निवासी वार्ड नं. 21 हरिपुरा नगरपालिका लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील प्रार्थी ओर सें।

2. श्री पोखरमल भींचर वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक –24.10.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अनावेदक संख्या 1 की शामलाती कृषि भूमि ख0नं0 578 रकबा 0.3800 हैक्टयर, ख0नं0 582 रकबा 0.5000 हैक्टयर, ख0नं0 587 रकबा 1.80 हैक्टयर, ख0नं0 598 रकबा 0.0500 हैक्टयर, ख0नं0 599 रकबा 1.73 हैक्टर, ख0नं0 599/947 रकबा 0.0100 हैक्टयर, गै0मु0 चाह, ख0नं0 600 रकबा 1.65 हैक्टयर, ख0नं0 601 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 6.16 हैक्टयर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/2 है हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। आवेदक का नाम कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड में मूला पुत्र भूरा दर्ज है जो काफी वर्षो से चला आ रहा है प्रार्थी का सही नाम राशन कार्ड, वोटरकार्ड, आधारकार्ड तथा अपने बच्चो के आगे पिता का सरनाम में सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द पुत्र भूराराम दर्ज है तथा यही नाम से सभी जानते पहचानते है सभी सरकारी दस्तावेजात मे भी प्रार्थी का पूरा व सही नाम मूलचन्द पुत्र भूराराम दर्ज है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम मूला पुत्र भूरा दर्ज चला आ रहा है यह अंकन प्रार्थी के पिता की मृत्यु के समय विरासत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी का अधुरा मूला पुत्र भूरा दर्ज कर दिया जबकि पूरा नाम व सही नाम मूलचन्द पुत्र भूराराम था। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलती से मूला पुत्र भूरा दर्ज कर दिया तथा अन्य सभी रिकार्ड व सरकारी दस्तावेजात में मूलचन्द पुत्र भूराराम दर्ज है। प्रार्थी को कृषि भूमि पर ऋण लेने से सरकारी योजनाओं में खाद बीज लेने तथा अनुदान की राशि कृषि बीमा की राशि आदि में अन्य दस्तावेजात के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से प्रार्थी समस्त सुविधाओ से वंचित हो जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 21/08/2017 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया इस कारण यह दुरूस्ती का आवेदन पेश करना लाजमी हुआ। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 578 रकबा 0.3800 हैक्टयर, ख0नं0 582 रकबा 0.5000 हैक्टयर, ख0नं0 587 रकबा 1.80 हैक्टयर, ख0नं0 598 रकबा 0.0500 हैक्टयर, ख0नं0 599 रकबा 1.73 हैक्टर, ख0नं0 599/947 रकबा 0.0100 हैक्टयर, गै0मु0 चाह, ख0नं0 600 रकबा 1.65 हैक्टयर, ख0नं0 601 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 6.16 हैक्टयर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में मूला पुत्र भूरा के स्थान पर सही व पूरा नाम मूलचन्द पुत्र भुराराम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सें वकील श्री पोखरमल भींचर ने जवाब पेश किया। तहसीलदार दांतारामगढ सें रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. वकील प्रार्थी/आवेदक की बहस पर मनन किया गया एवं आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार लोसल का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसके अनुसार '' जरिये नामांतकरण संख्या 273 दिनांक 04.05.71 के द्वारा वी के पिता भूरा की विरासत सें वादी को मूला पुत्र भूरा के नाम सें खातेदारी मिली थी जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–79 तक मूला पुत्र भूरा ही चला आ रहा है एवं वादी के पहचान के दस्तावेजों में वादी का नाम मूल चन्द पुत्र भूरा राम दर्ज है।'' प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा नायब तहसीलदार लोसल की रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

किया जाता है तथा ग्राम हरिपुरा तह0 दांतारामगढ की भूमि भूमि खसरा नम्बर 578 रकबा 0.3800 हैक्टयर, ख0नं0 582 रकबा 0.5000 हैक्टयर, ख0नं0 587 रकबा 1.80 हैक्टयर, ख0नं0 598 रकबा 0.0500 हैक्टयर, ख0नं0 599 रकबा 1.73 हैक्टर, ख0नं0 599/947 रकबा 0.0100 हैक्टयर, गै0मु0 चाह, ख0नं0 600 रकबा 1.65 हैक्टयर, ख0नं0 601 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 6.16 हैक्टयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व उसके पिता का नाम मूला पुत्र भुरा के स्थान पर मूल चन्द पुत्र भूरा राम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24 .10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)

Scanned by CamScanner